भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–06 / 2017–18

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

श्री सुदेव चन्द्र घोषाल, पिता–स्व0 अकुल चन्द्र घोषाल .... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, चाकुलिया) एवं अन्य–02 ....विपक्षीगण

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता श्री सुदेव चन्द्र घोषाल, पिता–अकुल चन्द्र घोषाल, निवासी ग्राम–खाड़ियाशोल, थाना–चाकुलिया, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, चाकुलिया) तथा श्री अनिल कुमार महतो एवं सुनील कुमार महतो दोनो के पिता–स्व0 अजम्बर महतो को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–85 R27 / 2017–18 / चाकुलिया में दिनांक–10 / 06 / 2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा दायर आवेदन पत्र की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं। निम्न न्यायालय का ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या – 85 R27 / 2017–18 / चाकुलिया प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता की ओर से Sale of deed No.2650, दिनांक–29.10.2002 की छायाप्रति, टाईटल सूट नं0–10 / 2003 दिनांक–10 / 05 / 2014 की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन द्वारा बताया गया हैं कि मौजा–खरियाशोल, थाना नं0–203, खाता नं0–47, प्लॉट नं0–141 / 279, रकवा–0.10 एकड़, खाता नं0–48, प्लॉट नं0–148, रकवा–0.22 एकड़, खाता नं0–49, प्लॉट नं0– 53, 54, 57, 58, 62, 140, 141 क्रमशः रकवा – 0.09 ए0, 0.11 ए0, 0.23 ए0, 0.11 ए0, 0.09 ए0, 0.15 ए0, 0.30 ए0 एवं खाता नं0–8, प्लॉट नं0–142, रकवा–0.12 एकड़ कुल रकवा–1.52 एकड़ भूमि का नामान्तरण	

हेतु अंचल अधिकारी, चाकुलिया के कार्यालय में आवेदन किया था, जिसमें अंचल अधिकारी, चाकुलिया ने अपने आदेश दिनांक–10/06/2017 द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं। अपीलकर्त्ता, बिक्रेता भू–स्वामी बिमालेन्दु बिकास सतपति, पिता–स्व0 बंकिम चन्द्र सतपत्ति, ग्राम–कालियाम, थाना–चाकुलिया से निबंधित बिक्री केवला संख्या–2650, दिनांक–29/10/2002 द्वारा क्रय किया गया हैं। आवेदक का कथन है कि अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा बिना जाँच–पड़ताल तथा कागजात देखें बिना ही नामान्तरण वाद को अस्वीकृत कर दिया। आवेदक द्वारा अपने अपील आवेदन के माध्यम से नामान्तरण स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा यह भी बताया कि अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा दिनांक–10/06/2017 को पारित आदेश में उल्लेखित है कि प्रश्नगत भूमि को सुनील कुमार महतो एवं अनिल कुमार महतो के नाम पर नामान्तरण मुकदमा संख्या–205/2003–04 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया है तथा नामान्तरण शुद्धि पत्र भी निर्गत किया जा चुका हैं जो की वैधिक नही हैं।

अंचल अधिकारी, चाकुलिया से प्राप्त नामान्तरण संख्या–85 R27/2017–18 /चाकुलिया में अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपीलकर्त्ता ने बिक्री दलिल संख्या–2650, दिनांक–29/10/2002 के अनुसार खतियानी रैयत के पुत्र श्री बिमालेन्दु बिकास सतपत्ति पिता–स्व0 बंकिम चन्द्र सतपत्ति से जमीन खरीदकर शान्ति पूर्वक दखलकार है, जाँच के दौरान किसी प्रकार के आपत्ति नही दी गई है। हल्का कर्मचारी द्वारा अपीलकर्त्ता के नाम से नामान्तरण करने हेतु अनुशंसा किया गया हैं। परन्तु अंचल अधिकारी, चाकुलिया ने अपने पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि का नामान्तरण पंजी–II रैयत श्री सुनील कुमार महतो एवं अनिल कुमार महतो दोनो के पिता–स्व0 अजम्बर महतो के नाम पर शुद्धि पत्र को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, द्वारा रद्द किये जाने के पश्चात ही आवेदित कुल 1.52 एकड़ जमीन की नामान्तरण स्वीकृत की जा सकती है, जिसका नामान्तरण मुकदमा संख्या–205/2003–04 हैं। जिसके कारण से अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया हैं।

अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा पारित नामान्तरण मुकदमा वाद में संलग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, सेल डीड एवं मुनसिफ कोर्ट, घाटशिला का टाईटल सूट संख्या–10/2003 (श्री सुदेव चन्द्र घोषाल, पिता–स्व0 अकुल चन्द्र घोषाल –बनाम्– श्री अनिल कुमार महतो एवं सुनील कुमार महतो दोनो के पिता–स्व0 अजम्बर महतो) में पारित आदेश को देखा। अपीलकर्त्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। संलग्न कागजात एवं जाँच प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि मूल खतियानी रैयत के पुत्र श्री विमालेन्दु विकास सतपत्ति, पिता–स्व0 बंकिम चन्द्र सतपत्ति, ग्राम–कालियाम, थाना–चाकुलिया से निबंधित दलील संख्या–2650, दिनांक–29/10/2002 से आवेदक द्वारा क्रय किया गया भूमि है, जो बर्तमान में आवेदक के दखल–कब्जा में हैं। टाईटल सूट संख्या–10/2003 में अपीलकर्त्ता एवं विपक्षीगण श्री अनिल कुमार महतो एवं सुनील कुमार, पिता–स्व0 अजम्बर महतो, ग्राम–कालियाम, थाना–चाकुलिया के बीच आवेदित भूमि के संबंध में समझौता (Compromise) हुआ हैं। पारित आदेश मे उल्लेखित है कि विपक्षी को आवेदित भूमि का अपीलकर्त्ता के नाम पर नामान्तरण करने से उन्हें कोई आपत्ति नही होगी।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात प्रासंगिक नामान्तरण मुकदमा संख्या–85 R27/2017–18/चाकुलिया को स्वीकृति के पूर्व अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा पारित नामान्तरण मुकदमा संख्या–205/2003–04 को रद्द करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। तदनुसार अभिलेख अंचल अधिकारी, चाकुलिया को नियमानुसार कार्रवाई हेतु वापस किया जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित

8/3/2018

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

8/3/2018

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

c.c of last order & 1st order is issued.
18/05/18

Digitally signed by Satyabeer Rajak
Date: 2022.06.03 15:45:05 +05:30
Location: 10.93.122.138